



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]
No. 326]नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 4, 2012/आषाढ़ 13, 1934
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 4, 2012/ASADHA 13, 1934

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन संख्या)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2012

साकानि. 531(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के क्रम सं. 1-8 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को दिनांक 1-4-2012 से 31-3-2014 तक सीमा-शुल्क विभाग की ओर से न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और इसे अधिसूचित करती है :—

तालिका

क्रम पत्तन का नाम	प्रतिनिधि
1. मुंबई पत्तन न्यास	सीमा-शुल्क आयुक्त, मुंबई-I
2. कोलकाता पत्तन न्यास	सीमा-शुल्क आयुक्त, (पत्तन), कोलकाता
3. चेन्नै पत्तन न्यास	सीमा-शुल्क आयुक्त, (पत्तन- आयात), चेन्नै
4. कोचीन पत्तन न्यास	सीमा-शुल्क आयुक्त, कोचीन
5. कांडला पत्तन न्यास	सीमा-शुल्क आयुक्त, कांडला
6. मुरगाँव पत्तन न्यास	सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गोवा
7. विशाखापट्टणम् पत्तन न्यास	सीमा-शुल्क आयुक्त, विशाखापट्टणम्
8. पारादीप पत्तन न्यास	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, भुवनेश्वर-I

[फा. सं. एलबी-11013/11/2012-एल]

एन. मुरुगानन्दम्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2012

G.S.R. 531(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (I) read with sub-section (6) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial number I- 8 on the Table below to be trustees on the Board from Department of Customs from 1-4-2012 to 31-3-2014 and notify the same :—

TABLE

S.No.	Name of the Port	Representative
1.	Mumbai Port Trust	Commissioner of Customs, Mumbai-I.
2.	Kolkata Port Trust	Commissioner of Customs, (Port), Kolkata.
3.	Chennai Port Trust	Commissioner of Customs (Port- Import) Chennai.
4.	Cochin Port Trust	Commissioner of Customs, Cochin.
5.	Kandla Port Trust	Commissioner of Customs, Kandla.
6.	Mormugao Port Trust	Commissioner of Customs & Central Excise Goa.
7.	Visakhapatnam Port Trust	Commissioner of Customs Visakhapatnam.
8.	Paradip Port Trust	Commissioner of Central Excise, Bhubaneshwar-I.

[F. No. LB-11013/11/2012-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2012

साकानि. 532(अ).—महापतन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के छांड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सरकार के प्रधान सचिव, अनसरवन एवं निवेश विभाग, ऑ 1-4-2012 और 31-3-2014 तक की अवधि के लिए विशाखापट्टणम पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है और इसे अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/3/2012-एल]

एन. मुरुगानन्दम्, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2012

G.S.R. 532(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby appoints the Principal Secretary to Government of Andhra Pradesh, Infrastructure and Investment Department to be trustee on the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam from 1-4-2012 to 31-3-2014 and notifies the same.

[F. No. LB-11013/3/2012-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.